न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 71/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00211

1. नारायण } पुत्रान भौंरीलाल } समस्त जातियान प्रजापत निवासीयान ग्राम बैराडा
2. लक्ष्मीनाराण } तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर, राज0।
3. मु0 गोपाली देवी पत्नि प्रहलाद

अपी0

बनाम

1. प्रहलाद } पुत्रान भौंरीलाल समस्त जातियान प्रजापत निवासीयान ग्राम बैराडा
2. छाजूलाल } तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर, राज0।
3. गिर्राज
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास
5. नायब तहसीलदार/उप पंजीयक तहसील बरनाला तहसील बामनवास
6. हेतल उर्फ हेमलता पुत्री प्रहलाद } समस्त जातियान प्रजापत निवासीयान ग्रमा बैराडा
7. कल्पना पुत्री प्रहलाद } तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राज0।

रेस्पो0

29.9.21

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 15/2012 निर्णय दिनांक 18.06.2018)

उपस्थित अभिभषाक
1. अपीलांट की ओर से श्री रंगलाल गुर्जर एवं कृष्ण कुमार उपाध्याय
2. रेस्पो0 की ओर से श्री बीरबल गुर्जर एवं योगेश कुमार शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:25 IST
Reason: Self Attested

निर्णय दिनांक 29.09.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 15/2012 निर्णय दिनांक 18.06.2018 न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. नं. 2 ल0 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी

Scanned with CamScanner

की भूमि खाता सं. 146 में दर्ज हाल ख.नं. 94 रकबा 0.80 है0 व खाता सं. 101 में दर्ज ख.नं. 99 रकबा 0.76 है0 व खाता सं. 201 में दर्ज ख.नं. 1706 रकबा 0.70 है0 व खाता सं. 224 में दर्ज ख.नं. 76 रकबा 0.89, ख.नं. 85 रकबा 0.80 है0 ख.नं. 87 रकबा 0.29 है0 ख.नं. 89 रकबा 0.50 है0 व खाता सं. 225 में दर्ज ख.नं. 1709 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1710 रकबा 0.55 है0, ख.नं. 1765 रकबा 0.22 ख.नं. 1766 रकबा 0.24 है0 ख.नं. 1775/1915 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 1777 रकबा 0.15 है0, ख.नं. 1780 रकबा 0.44 है0 ग्राम बैराडा तहसील बामनवास में स्थित हैं। उक्त भूमि का सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 व 3 के अलावा गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। इस भूमि पर सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त है एंव उपयोग उपभोग कर लाभांवित होते चले आ रहे है तथा सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात का सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 व 3 को उनके पिता ने अपनी मौजूदगी में ही आज से करीब 22 साल पूर्व ही पारिवारिक बंटवारा कर दिया था। उक्त विवादित भूमि का मौके पर बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि में फसल काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक खाता सं. 146 में दर्ज हाल ख.नं. 94 रकबा 0.80 है0 व खाता सं. 101 में दर्ज हाल ख.नं. 99 रकबा 0.76 है0 भूमि सायलान/अपी0 सं. 2 के हिस्से में तथा खाता सं. 201 में दर्ज हाल ख.नं. 1706 रकबा 0.70 है0 व खाता सं. 224 में दर्ज हाल ख.नं. 76 रकबा 0.89 है0, ख.नं. 85 रकबा 0.80 है0, ख.नं. 87 रकबा 0.29 है0, ख.नं. 89 रकबा 0.50 है0 में सायलान/अपी0 सं. 1 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 ल0 3 के हिस्से में एवं खाता सं. 225 में दर्ज हाल ख.नं. 1709 रकबा 0.25 है0, ख.नं. 1710 रकबा 0.55 है0, ख.नं. 1765 रकबा 0.22 है0, ख.नं. 1766 रकबा 0.24 है0, सायलान/अपी0 सं. 3 के हिस्से में एवं ख.नं. 1775/1915 रकबा 0.45 है0, ख.नं. 1777 रकबा 0.15 है0, ख.नं. 1780 रकबा 0.44 है0 में सायलान/अपी0 सं. 2 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 3 के हिस्से में बंटवारे में उक्त भूमि आई है। सायलान/अपी0 सं. 3 गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 की विवाहिता पत्नी है तथा पारिवारिक बंटवारे के पूर्व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 विवाहित होते हुए भी ग्राम बैराडा में बावूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति प्रजापत की पत्नी को [illegible] भगाकर करीब 22 साल पहले अहमदाबाद चला गया उसके [illegible] आया एवं न ही उसने अपनी पत्नी व उसकी दोनों पुत्रीयों की देखभाल की [illegible] सं. 1 ल0 3 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 ल0 3 एवं सायलान/अपी0 सं. 3 के ससुर भौंरीलाल ने ही गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 कि विवाहिता पत्नी व उसकी दोनों पुत्रीयों की देखभाल कि एवं पाल पोस कर बडा किया तथा उसकी दोनों पुत्रीयों की शादी की। पुत्रीयों के विवाह में भी गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 नहीं आया तथा उक्त भूमि को आज तक काश्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया न ही गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 का उक्त भूमि पर कब्जा है। सायलान/अपी0 सं. 1 ल0 2 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 ल0 3 के पिता भौंरीलाल का अहमदाबाद में एक मकान था जिसमें सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 ल0 3 का भी हिस्सा था। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 के पिता भौंरीलाल ने सभी भाइयों व गांव वालों को इक्कठा कर अहमदाबाद स्थित मकान को गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 के नाम कर दिया तथा मकान के बदले में सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 ल0 3 को ग्राम बैराडा में स्थित उक्त विवादित भूमि में हिस्सा देकर बंटबारा कर दिया। तब से ही सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 2 ल0 3 अपनी–अपनी बंटवारा शुदा भूमि में काबिज काश्त होकर बिना किसी व्यवधान के करीब 22 वर्षो से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। सायलान/अपी0 का 22 वर्षो से एडवर्स पजेशन है। सायलान/अपी0 अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 बदमाश किश्म का बेईमान एवं चालाक व्यक्ति है जिसके मन में राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने के कारण बेईमानी पैदा हो गई है, जो येन केन प्रकारेण उसके नाम दर्ज भूमि को रहन वय कर खुर्द बुर्द कर देना चाहता है। दिनांक 29.04.2012 को गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 सायलान/अपी0 की बंटवारा शुदा भूमि पर दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आ गया तथा धमकी दी कि इस साल तुम्हें फसल काश्त नहीं करने दूंगा तथा मेरे नाम उक्त भूमि को रहन वय कर तुम्हें बेदखल कर दूंगा। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गैरसायलान/रेस्पों. को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पांबद किया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी में सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त व खातेदारी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे न किसी अन्य से करावें तथा उक्त भूमि को रहन वय न करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 18.06.2018 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपी0 की पत्रावली पर कोई सुनवाई नहीं कि ना ही अपी0 व अपी0 की ओर से कोई एडवोकेट उपस्थित हुआ। न्याय आपके द्वार कैम्प बैराडा में अपी0 व रेस्पों. कोई भी उपस्थित नहीं थे तो फिर बहस किसने की। निर्णय में अंकित किया गया है कि जवाब का अवलोकन किया, दूसरी तरफ बहस पर मनन किया यह अंकित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयमेव ही निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पों. सं. 1 की पत्नी गोपाली प्रकरण में पक्षकार थी जबकि उसको निर्णय में पक्षकार नहीं माना, इससे दर्शित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, निरस्त होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी अपी0 व रेस्पों. सं. 1 ल0 3 की सहखातेदारी की भूमि है। रेस्पों. सं. 1 22 वर्षो से अहमदाबाद रहता है और कभी कब्जा काश्त नहीं किया। अपी0 व रेस्पों. सं. 3 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर दिया। अपने पिता की सम्पत्ति में से अहमदाबाद का मकान रेस्पों. सं. 1 को दे दिया और उसका गांव की भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा है। रेस्पों. सं. 1 ने अपनी विवाहिता पत्नी को गांव में ही छोड दिया जिससे उसके दो पुत्रियां रेस्पों. सं. 6 व 7 है और उसने अहमदाबाद में दूसरी पत्नी रख ली जिसका व उसकी सन्तानों का अधिकार केवल अहमदाबाद की सम्पत्ति पर है। गांव की सम्पत्ति पर पहले कि विवाहिता पत्नी व उसकी पुत्रियां का अधिकार है और उन्हीं का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी जिस पर अपी0 व रेस्पों. सं. 2 ल0 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है, बंटवारे के समय ही रेस्पों. सं. 1 ने इस भूमि को अपी0 व रेस्पों. सं. 2 ल0 3 के नाम नहीं लगवाने के कारण उसकी खातेदारी में चली आ रही है। यदि उसने उसके नाम की भूमियों को विक्रय कर दिया तो वादपत्र प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जावेंगा। इन सभी तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपी0 सं. 1 व 2 एवं रेस्पों. सं. 1 ल0 3 खास भाई है, रेस्पों. सं. 1 ल0 3 काफी अरसे से अहमदाबाद में रहकर अपना व्यवसाय करते चले आ रहे है। रेस्पों. सं. 1 समय–समय पर अपनी खेती आदि को संभालने गांव आता रहता है एवं फसल तैयार होने पर बेचने भी आता रहता है। अपी0 का यह कहना है कि रेस्पों. सं. 1 अहमदाबाद चला गया है और वापस नहीं आया, [illegible] गलत है। रेस्पों. सं. 1 की भूमि को हड़पने की वजह से ग[illegible] अधिनस्थ न्यायालय में दावा व प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। [illegible] गोपाली रेस्पों. सं. 1 की ब्याहता पत्नी है, किन्तु अरसा [illegible] 22 साल पहले [illegible] अपी0 सं. 1 नारायण लाल के साथ बतौर पत्नी रह रही है। अपी0 सं. 1 नारायण लाल ने कूटरचित तरीके से अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निजी फायदे के लिए अपी0 सं. 3 को पक्षकार बनाकर दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया। रेस्पों. सं. 1 के दो पुत्रियां है। अपी0 सं. 1 ने अन्य लोगों से साजिश कर रेस्पों. सं. 1 की दोनों पुत्रियों की शादी कर दी उस वक्त रेस्पों. सं. 1 अहमदाबाद में था। रेस्पों. सं. 1 को जब इस बात का पता लगा तो वह तुरन्त गांव आया एवं अपी0 सं. 1 व 2 से भला बुरा कहा उसके बाद अपनी दोनों पुत्रियों से मिलने गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील मीमों के मद नं. 7 में रेस्पों. सं. 1 की पत्नी गोपाली प्रकरण में पक्षकार थी उसको निर्णय में पक्षकार नहीं माना, कथन किया है। प्रार्थना पत्र के निर्णय में सायलान शब्द का प्रयोग किया है जिससे सहवन से लिखने में रहना प्रकट होता है। विवादित आराजी रेस्पों. की खातेदारी की आराजी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 15/2012 निर्णय दिनांक 18.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner